



2026:AHC-LKO:22475

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1214/2026**

मोहम्मद अदील

.....आवेदनकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से, और अन्य

... विरोधी पक्ष (गण)

आवेदनकर्ता (गण) के अधिवक्ता : उमंग राय, अशिता मंगल अग्रवाल

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 16**माननीय न्यायमूर्ति माननीय श्री प्रकाश सिंह**

विरोधी पक्ष संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सागर सिंह द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह वर्तमान आवेदन, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दिनांक 21.02.2026 की आरोप-पत्र संख्या 01 को अभिखण्डित करने के लिए दाखिल किया गया है; यह आरोप-पत्र वाद अपराध संख्या संख्या 0218/2025 से उत्पन्न हुआ है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69/352/351 (2), 115 (2) के अंतर्गत जिला लखनऊ में दर्ज है और जिसका शीर्षक "राज्य बनाम मोहम्मद अदील एवं अन्य" है, तथा जो वर्तमान में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 23, लखनऊ के समक्ष वाद अपराध संख्या 0218/2025 के रूप में लंबित है; साथ ही, इस वाद से संबंधित वाद की समस्त कार्यवाहियों को भी अभिखण्डित करने की मांग की गई है।

आवेदनकर्ता की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि आवेदनकर्ता निर्दोष है और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि किसी गलतफहमी के चलते आवेदनकर्ता के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और उसके बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपने विवाद को सुलझा लिया है। समझौते का यह दस्तावेज़ दिनांक 19.3.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया था, जिसे इस आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में जोड़ा गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब दोनों पक्षों के बीच एक-दूसरे को लेकर कोई शिकायत नहीं है; आवेदनकर्ता के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही निरर्थक है, क्योंकि विचारण का कोई हल निकलने वाला नहीं है। यह कार्यवाही आवेदनकर्ता को परेशान करने जैसी है, इसलिए आवेदनकर्ता के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को अभिखण्डित कर दिया जाना चाहिए।



इसके अलावा, उन्होंने यह तर्क दिया कि कथित पीड़िता घटना के समय बालिग थी और उसके बाद, आवेदनकर्ता और कथित पीड़िता ने आपस में विवाह कर लिया और वे पति-पत्नी के रूप में एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विवाह को दिनांक 18.2.2026 को विवाह पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत भी करवा लिया गया है।

दूसरी ओर, विरोधी पक्षगण की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता ने आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया और कहा कि पक्षों ने एक समझौता-पत्र के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और विरोधी पक्षगण को वर्तमान आवेदनकर्ता के विरुद्ध अब कोई और शिकायत नहीं है, तथा आवेदनकर्ता के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

अब, पक्षगण ने वास्तव में मामले पर समझौता किया है या नहीं, यह बात विचारण न्यायालय ही सबसे अच्छी तरह से पता लगा सकता है; क्योंकि ऐसे किसी भी समझौते को न्यायालय के समक्ष, संबंधित पक्षगण की उपस्थिति में, विधिवत रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है।



तदनुसार, इस आवेदन का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष यदि ऐसा कोई समझौता पेश किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी करे, जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य हो; और उसके बाद, वह समझौते को सत्यापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस समझौते को अभिलेख का भाग बना लिया जाएगा।

ऐसी स्थिति में, न्यायालय पक्षगण को रिपोर्ट के साथ-साथ समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा, और आवेदनकर्ता के लिए वह कार्यवाही को अभिखण्डित करवाने के लिए पुनः इस न्यायालय में आने का विकल्प खुला रहेगा।

तीन माह की अवधि के लिए, आवेदनकर्ता के विरुद्ध प्रारम्भ की गई कार्यवाही, जहाँ तक आवेदनकर्ता का संबंध है, स्थगित रहेगी।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई मूल समझौता-पत्र है, तो उसकी एक छायाप्रति लेने के बाद उसे आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को लौटा दे।

31 मार्च 2026

राम मूर्ति

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)